न्यायालय, सब जज–तृतीय, डुमराँव, बक्सर।

टी0एस0–121 / 1996

काशी कुंवर वगैरह– वादीगण

बनाम्

जग्रनाथ कुंवर वगैरह – प्रतिवादी

22.03.2023

उभय पक्ष की पैरवी है। प्रस्तुत वाद प्रतिवादी के तरफ से दिए गए आवेदन आदेश 22 नियम 10(ए) दिनांक–16.01.2023 एवं वादी के आवेदन आदेश 22 नियम 4 व धारा 151 सी0पी0सी0 दिनांक–16.01.2023 एवं प्रतिवादी के द्वारा दाखिल प्रतिउत्तर आवेदन दिनांक–16.02.2023 पर उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के सुनवाई उपरान्त आदेश हेतु नियत है।

आदेश

वाद पुकार पर वादी के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। वाद सुनवाई के दौरान अपने आवेदन दिनांक–16.01.2023 पर विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी संख्या 30 बद्री कुंवर की मृत्यु दिनांक–08.10.2022 को हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 31 ब्रमेश्वर कुंवर की मृत्यु दिनांक–18.12.2022 को नाबल्द हो चुकी है। विद्वान अधिवक्ता का प्रार्थना है कि प्रतिवादी संख्या 30 बद्री कुंवर का नाम विलोपित कर उनके जगह पर उनके विधिक वारिसानों का नाम वाद पत्र में प्रतिस्थापित किया जाए एवं प्रतिवादी संख्या 31 जिनकी मृत्यु नाबल्द हो चुकी है उनका नाम वाद पत्र से विलोपित किया जाए।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का सुनवाई के दौरानं कहना है कि वादी के द्व ारा प्रस्तुत वाद में प्रतिस्थापन हेतु आज तक कोई कार्यवाही नहीं करने के कारण यह मुकदमा अवेट हो चुका है क्योंकि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी संख्या 30 की मृत्यु दिनांक–08.10.2022 एवं प्रतिवादी संख्या 31 की मृत्यु नाबल्द दिनांक–18.12.2022 को हो चुकी है। विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि वादी के द्वारा दिया यह आवेदन दिनांक–16.01.2023 वास्ते प्रतिस्थापन कानूनन पोषणीय नहीं है। वादी के द्वारा दिया गया यह आवेदन प्रतिवादीगण को तंग व परेशान करने के दिया गया है। वादी ने जो प्रतिस्थापन हेतु जो आवेदन दिया है उसमें प्रतिवादी संख्या 30 बद्री कुंवर का आवेदन बिलंब से दिया गया है तथा उनके द्वारा बिलंब माफी का कोई आवेदन नहीं दिया गया है प्रतिवादी ने अपने प्रतिस्थापन आवेदन में बिलंब का कोई

कारण नहीं दर्शाया है साथ ही यह मुकदमा अवेट कर चुका है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता वादी के आवेदन को खारिज करने की प्रार्थना करते है।

उभय पक्षों को सुना एवं संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा प्रतिस्थापन हेतु जो आवेदन दिया गया है उसमें एक आवेदन समय–सीमा के अंदर एवं एक आवेदन जो प्रतिवादी संख्या 30 से संबंधित है बिलंब से दाखिल किया गया है। वादी के द्वारा दाखिल किया गया यह आवेदन जिसमें बद्री कुंवर के वारिसानों का जिक्र किया गया है एवं ब्रमेश्वर कुंवर को नाबल्द मरने की बात कही गयी है। प्रस्तुत वाद का सही निर्णय हेतु मृत व्यक्तियों के वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करना आवश्यक प्रतीत होता है। जहां तक प्रतिवादी का सवाल मुकदमा अवेट कर गया हे तो ऐसी स्थिति में वादी के द्वारा प्रतिवादी संख्या 31 का आवेदन समय–सीमा के अंदर दिया गया है ऐसी स्थिति में मुकदमा को अवेट मान लेना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए वादी के आवेदन को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। कार्यालय लिपिक नियमानुसार मृतक का नाम विलोपित कर उनके जगह पर उनके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करें।

वाद दिनांक–..... वास्ते अग्रिम कार्यवाही।

लेखापित

सब जज–तृतीय